



Committed to
professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 15

अंक संख्या 03

अक्टूबर, 2022

पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम
व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और
निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की
प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय
व्यावसायिकों का विकास करना।



इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....	3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....	3
विनियामक के कथन	3
आर्थिक संवेष्टन	5
नयी नियुक्तियाँ.....	5
विदेशी मुद्रा.....	6
शब्दावली	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी	6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियाँ	7
संस्थान समाचार	7
नयी पहलकदमी	8
बाजार की खबरें	8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मर्दाने सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मर्दाने में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस समाचार मर्दाने/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

मौद्रिक नीति समिति की बैठक 28 सितंबर से 30 सितंबर, 2022 तक आयोजित हुई। इसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- पुनर्खरीद (repo) दर 50 आधार अंक बढ़ाकर 5.9% की गई।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.65% से समायोजित करके 6.15% की गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और बैंक दर 5.65% से समायोजित करके 6.15% की गई।
- 28 दिवसीय परिवर्ती प्रतिवर्ती पुनर्खरीद दर (VRRR) की नीलामी 14 दिवसीय परिवर्ती प्रतिवर्ती पुनर्खरीद दर के साथ मिला दी गई।
- वर्तमान वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 6.7% पर कायम रखा गया। दूसरी तिमाही का पूर्वानुमान 7.1%, तीसरी तिमाही का 6.5% और जोखिमों को समान रूप से संतुलित करते हुये चौथी तिमाही का 5.8% है।
- वित्त वर्ष 23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि के पूर्वानुमान को 7.2% से घटाकर 7% किया गया।
- जनवरी- मार्च, 2022 की अवधि के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का स्तर 4.6% रहा।
- विनियमनों को आफलाइन भुगतान समाकलकों तक भी विस्तारित किया जाएगा।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचाया जाएगा।

जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर विचार-विमर्श दस्तावेज़ : भारतीय रिजर्व बैंक

विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए यह आवश्यकता महसूस की गई है कि वे अपनी व्यवसाय रणनीति और परिचालनों में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के संभाव्य प्रभाव को समझने एवं उनका निर्धारण करने के लिए एक सुदृढ़ प्रक्रिया विकसित करें और उसे कार्यान्वित करें। भौतिक/वास्तविक एवं संक्रमण जोखिमों का प्रभावी रीति से प्रबंधन करने तथा उनसे निपटने हेतु विनियमित संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 2022 में विनियमित संस्थाओं तथा अन्य हितधारकों से 30 सितंबर, 2022 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुये जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक विचार-विमर्श दस्तावेज़ जारी किया था। विनियामक ने सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों, निजी क्षेत्र के 16 बैंकों तथा भारत में परिचालनरत 6 विदेशी बैंकों के समावेश वाले अग्रणी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने में अपनाए गए दृष्टिकोण, तैयारी के स्तर तथा की गई प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु जनवरी, 2022 में किए गए सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए थे। उक्त विचार-विमर्श दस्तावेज़ पर प्राप्त प्रति-सूचना के साथ यह सर्वेक्षण जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त के संबंध में विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को निर्धारित करने में सहायक होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-उच्चतर परत के रूप में श्रेणीकृत 16 बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर वर्धित विनियामक ढांचा लागू होगा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 16 बड़ी वित्तीय संस्थाओं को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-उच्चतर परत (NBFC-UL) के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। उच्चतर परत वाली ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ एक वर्धित विनियामक ढांचे के अधीन आएंगी। उच्चतर परत वाली इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को वर्धित विनियामक ढांचा अपनाने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति कार्यान्वित करनी होगी। उन्हें नए विनियमनों का पालन करने के लिए आगामी तीन महीनों में कार्यान्वयन योजना तैयार करनी होगी। इसके अतिरिक्त, उच्चतर परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्डों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त विनिर्धारणों का अधिकतम 24 महीनों के भीतर पालन किया जाता है।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं/कंपनियों की सहायता के लिए मानदंडों को युक्तिपरक बनाया

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने अपनी माडल नियमावली/उप-विधि और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के शासी बोर्ड विनियमों को संशोधित कर दिया है। संशोधित मानदंडों में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी दिवाला

व्यावसायिक संस्था/कंपनी को भी इस शर्त पर व्यावसायिक सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है कि वह बोर्ड के पास एक दिवाला व्यावसायिक के रूप में पंजीकृत किए जाने की पात्र हो।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

टियर 3 और 4 वाले शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुपालन कार्य प्राप्त

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार की संस्थाओं में अनुपालन कार्य हेतु कुछेक सिद्धांतों, मानकों तथा कार्यविधियों को लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशियों वाले टियर 3 और 4 के रूप में श्रेणीकृत शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) को शीघ्र ही अपेक्षाकृत सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन ढाँचा प्राप्त होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के साथ अनुपालन कार्य को प्रभावी अभिशासन का एक अभिन्न अंग माने जाने के फलस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों को अपने कारपोरेट अभिशासन ढाँचे, परिचालनों के मान, जोखिम प्रोफाइल, संगठनात्मक विन्यास, आचार संहिता आदि के अनुसार स्वयं अपने दिशानिर्देश तैयार करने हेतु उक्त दिशानिर्देशों का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। अनिवार्य रूप से, उक्त अनुपालन कार्य इन बैंकों के लिए समस्त सांविधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

टियर 4 वाले शहरी सहकारी बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति सहित अनुपालन कार्य को कार्यान्वित करने हेतु 1 अप्रैल, 2023 तक का समय दिया गया है। टियर 3 वाले शहरी सहकारी बैंकों को 1 अक्टूबर, 2023 तक की समय-सीमा दी गई है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

डिजिटल उधार देने में संलग्न विनियमित संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा

डिजिटल उधारदाई विधि के माध्यम से ऋण सुपुर्दगी में संलग्न विनियमित संस्थाओं को उधारदायी मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा। जहां विनियमित संस्थाओं को मौजूदा ऋणों के लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु 30 नवंबर, 2023 तक का समय दिया गया है, वहीं नए ऋण लेने वाले नए एवं मौजूदा ग्राहकों के मामले में ये मानदंड तत्काल लागू होंगे।

उधारदाई सेवा-प्रदाताओं (LSPs)/डिजिटल उधारदाई उपकरणों (DLAs) के साथ आउटसोर्सिंग व्यवस्थाएं कर रखने के बावजूद विनियमित संस्थाएं समान रूप से बाध्य होंगी। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होंगी कि उधारदायी सेवा-प्रदाता/डिजिटल उधारदाई उपकरण उक्त दिशानिर्देशों का पालन करें।

अब अनिवासी भारतीयों द्वारा बिलों का भुगतान करने हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है

सीमा-पार वाले विप्रेषणों के लिए रुपया आहरण व्यवस्था हेतु अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे अनिवासी भारतीयों को भारत बिल भुगतान प्रणाली के जरिये बिलों का भुगतान सरलता से करने में सहायता प्राप्त होगी।

विनियामक के कथन

भारत की बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास

भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (FIMMDA) के वार्षिक समारोह में 'वित्तीय बाजार के सुधार : दृष्टिकोण एवं अपेक्षाएँ' विषय पर बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि भारत में अनुकूल वृद्धि विभेदक, उसके व्यापारिक भागीदारों में से कई एक की तुलना में कमतर मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि के सुरक्षित भंडार तथा उसकी अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द निर्मित सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली मौजूद है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जहां अन्य महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं को मंदी का सामना करना पड़ सकता है अथवा उनके वृद्धि संवेग में विमंदन आ सकता है, वहीं 2022 में भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि दर्ज करने की संभाव्यता विद्यमान है।

वस्तुओं की कीमतों और आपूर्ति शृंखला पर पड़ने वाले दबावों में हाल ही में आई कमी ने उस आघात को कम कर दिया है जिसका वैश्विक महामारी और युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत को व्यापारिक दृष्टि से सामना करना पड़ रहा था। वस्तुओं की कीमत की प्रत्याशा में आए इस बदलाव ने 2022-23 में भारत के चालू खाते के घाटे (CAD) को भी परिवर्तित कर दिया है।

श्री दास ने कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली की स्थिति सुदृढ़ है। वह उन्नत आस्ति गुणवत्ता के साथ भलीभाँति पूंजीकृत है और बेहतर प्रावधानीकृत है। इससे वित्तीय स्थिरता के मुख्य स्तम्भ का सृजन होता है तथा इससे वित्तीय बाजारों के लिए सकारात्मक विखराव/ फैलाव (spill-overs) प्राप्त होने की आशा है।

उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष में रूपए में सुव्यवस्थित विधि से उतार-चढ़ाव आया है। आगे चलकर वृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुये मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति को सतर्क, द्रुतगामी तथा अंशांकित रखने का क्रम जारी रहेगा।

डिजिटल उधार वाले कार्य में सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक की प्राथमिकता

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), फिंटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) तथा भारतीय भुगतान परिषद (PCI) द्वारा आयोजित वैश्विक फिंटेक उत्सव (Global Fintech Festival) में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने यह विचार व्यक्त किया कि डिजिटल उधारदाई प्लेटफार्मों में सहभागिता करते समय बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा विनियमित संस्थाओं द्वारा समुचित सावधानी बरता जाना आवश्यक है। सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) द्वारा अभिशासन, व्यवसाय संचालन, विनियामक अनुपालन एवं जोखिम न्यूनीकरण ढांचों को गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखा जाना चाहिए।

फिंटेक क्षेत्र के और अधिक विकास/वृद्धि के संबंध में श्री दास ने सुझाव दिया कि वे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए पारंपरिक ऋणदाताओं के साथ मिलकर यह कार्य कर सकते हैं। फिंटेक क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए ऋण, बीमा और निवेश सहित उत्पादों तक पहुँच के लिए खाता समाकलक प्रणाली को भी अपना सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक इन पहलकदमियों को अधिकाधिक महत्व प्रदान कर रहा है।

नकदी-रहित लेनदेनों के प्रसार को और अधिक बढ़ाने के लिए हाल ही में एक एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) सम्बद्ध रूपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त अपेक्षाकृत छोटे लेनदेनों और आवक विप्रेषणों को सुगम बनाने के लिए बिलों के भुगतान हेतु भारत बिल भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ में 'यूपीआई लाइट' नामक एक विशेषता जोड़ दी गई है।

अनिश्चितता, मूल्य-निर्धारण संबंधी परिवर्तनों के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा छत्र सुदृढ़ : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने इस बात के प्रति आश्वस्त किया है कि बाजार में अनिश्चितता के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि के छत्र के सुदृढ़ बने रहने का क्रम जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक विद्यमान एवं उभरती हुई स्थितियों का निरंतर रूप से मूल्यांकन करता रहा है तथा उनके आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार में अंतराक्षेपण करता रहा है। श्री दास ने कहा कि भारत के अन्य विदेशी/बाह्य संकेतक यथा- सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में विदेशी ऋण का अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का अनुपात, प्रारक्षित निधियों की तुलना में अल्पावधि ऋण का अनुपात तथा ऋण शोधन अनुपात से भी अधिकांश अन्य महत्वपूर्ण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उसकी कमतर सुभेद्यता का पता चलता है। वस्तुतः सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में भारत का विदेशी ऋण महत्वपूर्ण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सब से कम है। अंतिम विश्लेषण में हम इस बात के प्रति आश्वस्त हैं कि हम अपनी विदेशी वित्तीय आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर लेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि स्थिर विनिमय दर वित्तीय एवं समग्र स्थूल-आर्थिक स्थिरता तथा बाजार के विश्वास का संकेतक होती है। रुपया मुक्त रूप से एक ऐसी अस्थिर मुद्रा है जिसकी विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में कोई स्थिर विनिमय दर नहीं है।

डिजिटल उधारदाई मानदंड गलत उधारदाई प्रथाओं को समाप्त करने, ग्राहकों को संरक्षित करने हेतु लागू किए गए : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल (Assocham) द्वारा आयोजित एक समारोह में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने कहा है कि हाल ही में जारी किए गए डिजिटल उधारदाई मानदंड विनियामक अंतरपणन समाप्त करने तथा ग्राहकों को संरक्षित करने हेतु तैयार किए गए हैं। अन्य पक्षों की अनियंत्रित नियुक्ति, डाटा की निजता/गोपनीयता का उल्लंघन, अप-

बिक्री, अनैतिक वसूली प्रथाओं तथा अत्यधिक ब्याज दरों के परिणामस्वरूप शीर्ष बैंक को इन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

उक्त मानदंड सम्पूर्ण दायित्व उन विनियमित संस्थाओं पर डालते हैं जिनकी ओर से ये उपकरण उधारदाई कार्य करते हैं। विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण सेवा सुसासधक (facilitator) और डिजिटल उधारदाई उपकरण (DLAs) जिस किसी को भी उक्त कार्य आउटसोर्स किया गया हो, हर प्रकार से विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ही परिचालन करें।

श्री राव यह मत व्यक्त करते हैं कि अनधिकृत संस्थाओं द्वारा उधारदाई कार्य को रोकने हेतु संस्तुत विधान के पारण और डिजिटल ऋणदाताओं के लिए स्वतः विनियामक संगठन के सृजन से सम्पूर्ण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को सहायता प्राप्त होगी। यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक के हित से किसी भी विधि से समझौता किए बिना नवोन्मेष की प्रक्रिया जारी रहे एक दुरुह कार्य है –ऐसा कार्य जो आवश्यक रूप से आरंभ किया जाना चाहिए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट अगस्त, 2022 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- अगस्त, 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- सी (CPI-C) मुद्रास्फीति और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति 7% और 12.4% रही।
- 75वें वर्ष में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 1.7 लाख रुपए रहा; वह आज की कीमतों पर स्वाधीनता के बाद से आठ गुना बढ़ा।
- सकल मूल्य-योजित में उद्योग का अंश बढ़कर 25.9% हुआ ; सेवाओं का अंश बढ़कर 47.5% हो गया।
- जुलाई, 2022 में निवल कर राजस्व 25.9% रहा।
- माल और सेवा कर (GST) वसूलियाँ सुदृढ़ रहीं; जिसमें अगस्त, 2022 में वर्षानुवर्ष 28% की अधिक वसूली दर्ज हुई।
- पीएमआई विनिर्माण 56.2 अंक पर रहते हुये विस्तारवादी क्षेत्र में बना रहा। पीएमआई सेवा अगस्त, 2022 में 57.2 अंक पर रहा।
- खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल, 2022 के 8.3% के स्तर से घटकर अगस्त, 2022 में 7.6% हो गई।
- भारतीय मुद्रा ने अच्छा कार्य-निष्पादन किया। डालर के समक्ष रुपए के मूल्यहास के फलस्वरूप वह वर्ष की तुलना में आज तक के आधार पर 7% के मर्यादित स्तर पर रहा।
- अगस्त, 2022 में भारत के तिजारती व्यापार का घाटा बढ़कर 27.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री कृष्णन शंकरसुब्रमणियन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तमिलनाडु मर्कटाइल बैंक
श्री दिलीप अस्बे	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) (पुनर्नियुक्ति)
श्री आर. गांधी	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, येस बैंक
श्री सैमुएल जोसेफ	उप प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक (पुनर्नियुक्ति)
श्री रवि मोहन	अध्यक्ष, ईएसएएफ लघु वित्त बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 सितम्बर, 2022 के दिन करोड रुपए	23 सितम्बर, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4352850	537518
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	3864518	477212
1.2 सोना	306807	37886
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142476	17594
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	39050	4826

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अक्टूबर, 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	2.98
जीबीपी	2.1891
यूरो	0.662
जापानी येन	-0.068
कनाडाई डालर	3.2500
आस्ट्रेलियाई डालर	2.35
स्विस फ्रैंक	0.397292

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	3.00
स्वीडिश क्रोन	1.643
सिंगापुर डालर	2.7578
हांगकांग डालर	1.51666
म्यामार रुपया	2.47
डैनिश क्रोन	0.571

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

उधारदाई सेवा-प्रदाता (Lending Service Provider)

विनियमित संस्था का एक ऐसा एजेंट जो विनियमित संस्था की ओर से किसी एक अथवा उससे अधिक ऋणदाताओं के ग्राहक अधिग्रहण, हमीदारी सहायता, मूल्य-निर्धारण सहायता, सर्विसिंग, निगरानी, विशिष्ट ऋण या ऋण संविभाग जैसे किसी कार्य अथवा उसके किसी अंश का रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अनुसरण में सम्पादन करता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रसरण (Variance)

प्रसरण शब्द किसी डेटा सेट में संख्याओं के बीच अंतर के सांख्यिकीय माप से संबन्धित होता है। अधिक विशिष्ट रूप से प्रसरण सेट में निहित प्रत्येक संख्या के माध्य (औसत) से और इस प्रकार सेट में निहित प्रत्येक अन्य संख्या से कितनी दूर है इसे मापता है। प्रसरण को प्रायः σ^2 द्वारा अंकित/चित्रित किया जाता है। इसका उपयोग बाजार की अस्थिरता और सुरक्षा/निरापदता का निर्धारण करने हेतु विश्लेषकों एवं व्यापारियों दोनों द्वारा किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्टूबर माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	11 से 13 अक्टूबर, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण	13 से 15 अक्टूबर, 2022	
उन्नत कारपोरेट उधार	13 से 15 अक्टूबर, 2022	
धन-शोधन निवारण, अपने ग्राहक को जानिए और आतंकवाद के वित्तीयन का मुकाबला	18 से 19 अक्टूबर, 2022	
विदेशी मुद्रा परिचालन	27 से 29 अक्टूबर, 2022	

संस्थान समाचार

12वां आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान

संस्थान 12वें आर. के. तलवार स्मारक व्याख्यान का आयोजन 21 अक्टूबर, 2022 को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में कर रहा है। इस बार उक्त व्याख्यान भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया जाएगा तथा व्याख्यान का विषय होगा रिफ्लेक्टिंग आन प्वालिसी च्वायसेस फार इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम (Reflecting on policy choices for Indian financial system)। इस समारोह का सीधा प्रसारण संस्थान की फेसबुक के पृष्ठ और यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ की दूसरी राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता बैंकिंग चाणक्य समापन (Finale)

संस्थान ने सभी अंचलों के लिए प्रारम्भिक चक्र वाली उपांत्य फेरी (semi-final) का आयोजन सफलतापूर्वक किया तथा राष्ट्रीय अंतर-बैंक प्रश्नमंच प्रतियोगिता बैंकिंग चाणक्य का शानदार समापन 5 नवंबर, 2022 को होगा। उक्त समारोह का स्थल होगा भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट, मुंबई। अधिक विवरण के लिए <https://www.iibfbankingchanakya.com/> देखें।

आईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी - संशोधित पाठ्यक्रम की शुरुआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्ण हेतु समय-सीमा, उत्तीर्ण मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग एवं बैंकिंग में आचारशास्त्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आत्म-संगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अंतिम मूल्यांकन/परीक्षा हेतु उत्तीर्ण अंकों को 70% से संशोधित करके 60% कर दिया गया है। यह 1 मार्च, 2022 को या उसके बाद आत्म-संगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रभावी होगा।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा

क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकों की अच्छी-खासी संख्या में उपस्थिति रही।

सब के लिए ई-शिक्षण

संस्थान ने सब के लिए ई-शिक्षण की शुरुआत की है जिसमें कोई भी व्यक्ति, उसकी सदस्यता की स्थिति/हैसियत अथवा परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति/हैसियत चाहे जैसी भी हो, संस्थान द्वारा बैंकिंग एवं वित्त पर तैयार किए गए विविध सम-सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण मॉड्यूल तक पहुंच सकता है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अक्टूबर - दिसंबर, 2022 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Growing importance of co-lending in Financial Intermediation

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने - आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

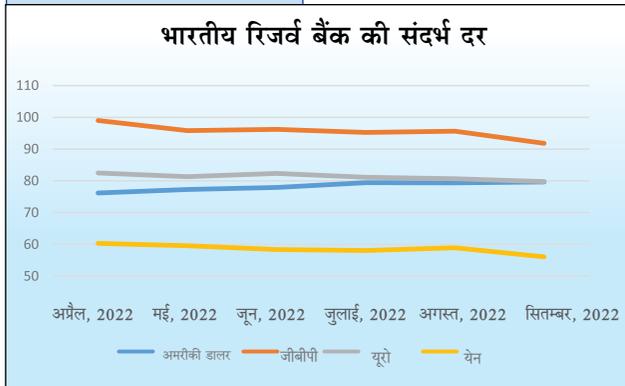
(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

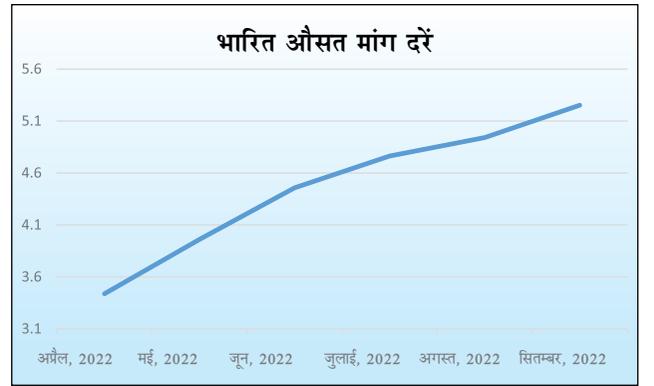
नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें



स्रोत: एफबीआईएल



स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998



स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2022



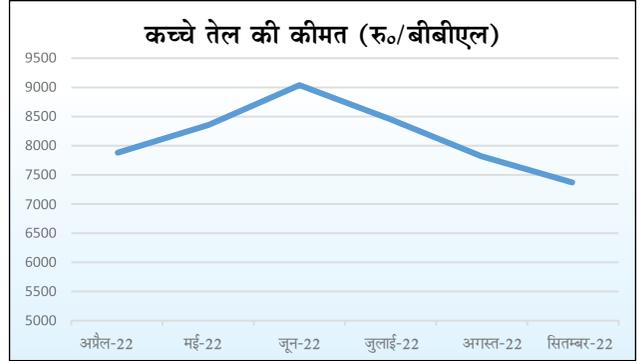
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक



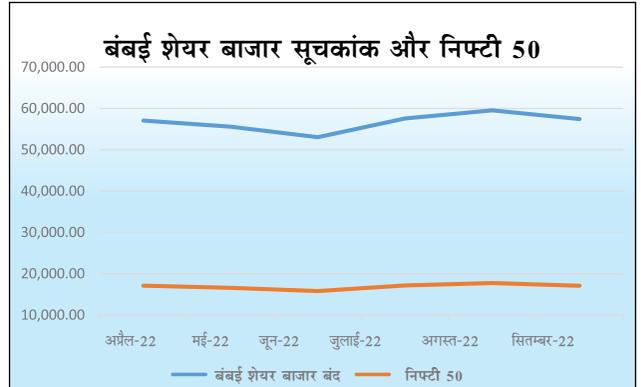
स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितम्बर, 2022



स्रोत : गोल्ड प्राइस इंडिया



स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय



स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, Published by Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and printed at Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and published at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in